3728
06/5/16

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।
:: संकल्प ::

कृपया पढ़े :–

1. उपायुक्त, गोड्डा का पत्रांक–352N/डी0आर0डी0ए0, दिनांक 04.03.2011 एवं पत्रांक–560/स्था0, दिनांक 24.11.2011
2. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–2854, दिनांक 05.05.2011
3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–3771, दिनांक 08.07.2011; पत्रांक–6738, दिनांक 28.05.2012; पत्रांक–12482, दिनांक 26.12.2013; अर्द्ध सरकारी पत्रांक–4086, दिनांक 07.05.2014 एवं संकल्प सं0–268, दिनांक–13.01.2015
4. आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका का पत्रांक–212/स्था0, दिनांक 31.03.2012
5. विभागीय जाँच पदाधिकारी का पत्रांक–114, दिनांक–10.06.2015

सुश्री सागरी बराल, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला– बोकारो), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पथरगामा, गोड्डा के पद पर कार्यावधि में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2854, दिनांक 05.05.2011 के माध्यम से उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक–352N/डी0आर0डी0ए0, दिनांक 04.03.2011 द्वारा आरोप प्रपत्र–'क' में प्राप्त हुआ, जिसके लिए तत्कालीन उप मुख्य (ग्रामीण विकास) मंत्री द्वारा सुश्री बराल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने की अनुशंसा की गयी। प्रपत्र–'क' में अंकित आरोप का विवरण निम्नवत् है–

"मनरेगा अन्तर्गत पथरगामा प्रखण्ड में ग्राम पंचायत लतौना में योजना संख्या–02/2010–11 गंगारामपुर ट्रांसफार्मर से गंगटी सीमा तक मिट्टी मोरम पथ में मजदूरों का फर्जी मस्टर रॉल के आधार पर तैयार पोस्ट ऑफिस एडभाइस के अनुसार पोस्ट मास्टर के साथ मिलकर 27 लाभुकों के नाम पर 39,501/– रूपये लोकधन का गबन किया गया।"

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक–3771, दिनांक 08.07.2011 द्वारा सुश्री बराल से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इनके पत्रांक–464, दिनांक 02.08.2011 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में कहा गया है कि वे प्रशिक्षु उप समाहर्त्ता के रूप में गोड्डा जिला में दिनांक 11.10.2010 से दिनांक 07.11.2011 तक पदस्थापित थीं। आरोप से संबंधित योजना का कार्यान्वयन तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, श्री विजयेन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 12.09.2010 को प्रारंभ किया गया। योजना से संबंधित मजदूरों द्वारा इस आश्य का शपथ पत्र दिया गया है कि उन्होंने प्रश्नगत योजना में कार्य किया है।

उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक–560/स्था0, दिनांक 24.11.2011 द्वारा सुश्री बराल के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उल्लेख है कि उन्हें कार्यानुभव नहीं था तथा इनका पूरी तरह से प्रशिक्षण भी नहीं हुआ था। मस्टर रॉल संधारण करने का नरेगा अन्तर्गत मेट, रोजगार सेवक एवं पंचायत सेवक का दायित्व बनता है। सुश्री बराल का स्पष्टीकरण प्रथम दृष्टया स्वीकार योग्य है। आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के पत्रांक–212/स्था0, दिनांक 31.03.2012 द्वारा उपायुक्त, गोड्डा के उक्त मंतव्य से सहमति व्यक्त की गई है।

सुश्री बराल के विरूद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण, उपायुक्त, गोड्डा के मंतव्य प्रतिवेदन तथा आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के मंतव्य प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त, विभागीय पत्रांक–6738, दिनांक 28.05.2012 द्वारा उपायुक्त, गोड्डा से प्रश्नगत योजना के मस्टर रॉल संधारण में हुई अनियमितता के लिए मेट/रोजगार सेवक/पंचायत सेवक की

कृ0पृ0उ0..

लापरवाही की जाँच से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक–12482, दिनांक 26.12.2013; अर्द्ध सरकारी पत्रांक–4086, दिनांक 07.05.2014 द्वारा उक्त हेतु स्मारित भी किया गया परन्तु प्रतिवेदन अप्राप्त रहा।

उल्लेखनीय है कि विषयगत योजना में श्री विजयेन्द्र कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोड्डा के विरूद्ध भी प्रपत्र–'क' में आरोप प्राप्त हुआ, जिसके संबंध में प्राप्त स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, गोड्डा द्वारा मंतव्य दिया गया कि उक्त योजना में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी श्री उज्ज्वल कुमार मंडल तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों श्री विजयेन्द्र कुमार तथा श्री सागरी बराल द्वारा लापरवाही बरती गयी।

उपायुक्त, गोड्डा के इस प्रतिवेदन के आधार पर मामले की समीक्षा की गयी तथा विभागीय संकल्प सं0–268, दिनांक–13.01.2015 द्वारा सुश्री बराल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री शुभेन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री झा के पत्रांक–114, दिनांक–10.06.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच–प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोपों को प्रमाणित पाया गया। सुश्री बराल के विरूद्ध आरोप, इनके बचाव–बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच–प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त, आरोपित पदाधिकारी के स्तर से योजना के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में लापरवाही बरतने का आरोप प्रमाणित पाया गया। उक्त प्रमाणित आरोपों हेतु विभागीय संकल्प सं0–8768, दिनांक 06.10.2015 द्वारा सुश्री सागरी बराल पर 'निन्दन' की सजा अधिरोपित किया गया।

उक्त दण्ड के विरूद्ध सुश्री सागरी बराल के पत्रांक–1094, दिनांक 10.11.2015 द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें सुश्री बराल द्वारा दिये गये तथ्यों का सार निम्नवत् है–

विभागीय अधिसूचना सं0–5188, दिनांक 28.08.2010 द्वारा इन्हें प्रशिक्षु उपसमाहर्त्ता के रूप में गोड्डा जिला में प्रशिक्षण हेतु पदस्थापित किया गया। लगभग एक माह के प्रशिक्षण के उपरांत ही विभागीय अधिसूचना सं0–5982, दिनांक 04.10.2010 द्वारा इनका पदस्थापन गोड्डा जिला अन्तर्गत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह– अंचल अधिकारी, पथरगामा के पद पर किया गया। दिनांक 11.10.2010 के अपराह्न में अधिसूचित पद प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह– अंचल अधिकारी, पथरगामा का प्रभार ग्रहण किया गया।

भारत का राजपत्र (असाधारण) के पत्रांक–48, दिनांक 07 सितम्बर, 2005 के अनुसार THE NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT, 2005 के सफल कार्यान्वयन तथा क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा एक टीम का गठन किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, रोजगार सेवक एवं मेट की नियुक्ति की गई है, जिनका पूर्ण दायित्व होता है कि मनरेगा अन्तर्गत सभी योजनाओं का संचालन अधिनियम के अनुरूप करना सुनिश्चित करें। इस टीम के द्वारा ही पूरी मनरेगा के संचालन की जिम्मेदारी बनती है। इसके अलावा मनरेगा एक माँग आधारित योजना है, जिसमें माँग के आधार पर जॉब कार्ड मजदूरों को योजना में कार्य करने हेतु कार्य आवंटित किया जाता है तथा 15 दिनों में काम ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ता का भी प्रावधान है। साथ ही मजदूरों को मजदूरी भुगतान 15 दिनों के अन्दर करना अधिनियम के अन्तर्गत बाध्यता है एवं नहीं करने पर अधिनियम का उल्लंघन होता है तथा उसमें Delay Payment होने की वजह से Penalty का भी प्रावधान है।

अतः इनके द्वारा जो भी भुगतान किया गया है, वे सभी मनरेगा कर्मियों के पर्यवेक्षण एवं सत्यापन के उपरांत सभी मनरेगा के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए चेक निर्गत किया गया है। अतः किसी भी प्रकार से इनके ऊपर सरकारी राशि के गबन का मामला नहीं बनता है।

विभागीय पत्रांक–3771, दिनांक 08.07.2011 द्वारा उक्त संदर्भ में इनसे पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में इनके पत्रांक–464, दिनांक 02.08.2011 द्वारा विभाग को समर्पित स्पष्टीकरण से संतुष्ट होकर तत्कालीन उपायुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, गोड्डा द्वारा पत्रांक–560/स्था0, दिनांक 24.11.2011 द्वारा इनके स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए इनके ऊपर लगाए गए आरोपों से मुक्त करने की अनुशंसा की गई है, जिस पर आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका द्वारा भी पत्रांक–212/स्था0, दिनांक 31.02.2012 द्वारा भी सहमति प्रकट की गई है।

सुश्री बराल द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा में यह पाया गया कि इनके द्वारा कोई नया तथ्य नहीं दिया गया है, जिसके आलोक में अपील अभ्यावेदन पर विचार किया जाय।

अतः इनके अपील अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए पूर्व में दिये गये **'निन्दन'** के दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति सुश्री सागरी बराल, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

5.5.16

(दिलीप तिर्की)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5/आरोप–1–670/2014 का०– 3728 /राँची, दिनांक 06 मई, 2016

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को राजकीय, गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

5.5.16

सरकार के उप सचिव।